हैसियत से बी.आई.डी.बी. का चेयरमैन था उसमें उस पीरियड का भी जिक्र किया गया है। मैंने उस कमेटी के चेयरमैन को चार बार चिट्ठा कि मुझे बुलाया जाए और एक्सप्लेन करने का बचाव करने का मौका दिया जाए, मगर हमको चेयरमैन ने एक्नॉलेज नहीं किया हमको बुलाया भी नहीं गया। एनी वे मैंने उस पर पर्सनल एक्सप्लनेशन के लिए एक चिट्ठी आज सुबह लिख कर दी है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि हमको कब मौका मिलेगा पर्सनल एक्सप्लनेशन का?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : As you have yourself said, the Deputy Chairman is seized of the matter and she will inform you regarding this.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer given in the Rajya Sabha to starred question 62 on 7th December, 1993 regarding Telecasting rights for Hero Cup Tournament.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी।

महोदय, दिनांक 7 नवम्बर को प्रश्न संख्या 62 का उत्तर जिस समय सूचना और प्रसारण मंत्री सदन में दे रहे थे तो उनके उत्तर से सदन को संतोष नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इस पर आधे घंटे की चर्चा कराने का नोटिस दिया था डिप्टी चेयरमैन साहिबा ने इस नोटिस को स्वीकार किया और मुझे यह चर्चा चलाने की अनुमति दी इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं।

महोदय, इससे पहले कि मैं यह चर्चा शुरू करूं, 7 तारीख को हुए सवाल और जवाब के संदर्भ में एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगी। उस समय, जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो बार-बार जिस इंटरनेशनल को जिस कंटेक्सिअस वे में फॉरन मल्टी नेशनल यानी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहकर संबोधित कर रहे थे और जिस तरह से सी.पी.आई के गुरुदास दासगुप्त सत्तारूढ़ दल की ग्लोबलाइजेशन की नीति को दुहाई देते हुए सी.ए.बी. एक्शन का बचाव कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उल्टा-पल्टा हो गया है। मुझे लग रहा था कि यदि जसपाल भट्टी उस दिन इस सदन की दीर्घा में उपस्थित होते तो एक बहुत अच्छा और सुन्दर वह कार्यक्रम दूरदर्शन के उल्टा-पल्टा कार्यक्रम के लिए तैयार कर सकते थे। मल्टीनेशनल कम्पनियों का बंगाल तो मल्टी नेशनल के रंग में रंग जाए और कांग्रेस के मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानने लगें इससे बड़ा अजूबा दूसरा नहीं हो सकता। वास्तव में हीरो कप के प्रसारण के संबंध में यही अजूबा घटित हुआ। मैंने इस केस के पूरे फैक्ट्स की पूरे तथ्यों की जानकारी हासिल की है तफसील में जाकर उसको सदन में नहीं रखना चाहूंगी क्योंकि उससे सदन का समय बहुत बेकार चला जाएगा लेकिन मोटे तौर पर मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी क्योंकि शायद वे अपने जवाब में यह कहना चाहें कि मुझे मालूम है कि किस तरह से सी.ए.बी. को एक करोड़ रुपए ऑफर करके दूरदर्शन ने इस मैच के प्रसार के अधिकार खरीदने चाहे। फिर किस तरह से टी.डब्ल्यू.आई. ने लगभग दो करोड़ रुपए का ऑफर करके बजाए दूरदर्शन के स्वयं खरीद लिए। फिर किस तरह से स्टेडियम के अंदर के विज्ञापनों से होने वाली आय की कमी का अनुभव करते हुए सी.ए.बी. ने दूरदर्शन को यह सलाह दी कि वह टी.डब्ल्यू.आई. से कम से कम हिन्दुस्तान के अंदर के प्रसारण अधिकार खरीद लें जिसको दूरदर्शन ने अपनी हेठी मानते हुए ठुकरा दिया और फिर किस तरह से जब टी.डब्ल्यू.आई. ने अपलिंक करने वाला अपना इक्विपमेंट बाहर से मंगाना चाहा तो बाकी सभी तमाम विभागों की स्वीकृतियां होने के बावजूद इंडियन टेलीग्राफ ऐक्ट और इंडियन वायरलैस ऐक्ट के कुछ प्रावधानों का हवाला देकर के दूरदर्शन ने उस इक्विपमेंट को रुकवा दिया और फिर किस तरह से कलकत्ता उच्च न्यायालय में जब याचिका दायर की गई तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दूरदर्शन को होस्ट ब्रोडकास्टर का दर्जा देते हुए हिन्दुस्तान का प्रसारण करने के आदेश दूरदर्शन को दिया और टी.डब्ल्यू.आई. को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण के आदेश देते हुए उनके रास्ते में कोई बाधा, कोई एकाबट

न होने का आदेश भी दूरदर्शन को दिया। लेकिन चूंकि टी. डब्ल्यू. आई. का इक्विपमेंट बम्बई वालों ने रोक रखा था, इसमें किस तरह टी. डब्ल्यू. आई. ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को बुलाकर के यह कहा कि वह इस पूरे मामले को, पूरे मसले को क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुलझाएं और उस मसले को सुलझाते हुए किस तरह सैक्रेटरी ने टी. डब्ल्यू. आई. को प्रसारण के अधिकार तो दिए लेकिन सिग्नल दूरदर्शन से खरीदने की बात कही और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने रात को सुनवाई करी और सारी शर्तों को हटा करके टी. डब्ल्यू. आई. को प्रसारण का आदेश दिया। फिर किस तरह से अंत में क्रिकेट प्रेमियों के सीने की धड़कनों को बढ़ाते हुए साझा मंच पर सिरकत करते हुए यह प्रसारण किया। यह इसके मोटे तथ्य हैं और उसके बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लम्बित है। कंटेम्ट आफ कोर्ट की याचिकाएं चल रही हैं और अदालती लड़ाई इस प्रसंग में आज भी चालू है। मोटे तौर पर यह इस केस के तथ्य हैं। तो मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि वह फैक्ट्स हमें बताने में सदन का समय व्यर्थ न करें। फैक्ट्स की तफसीलात की बिल्कुल एक-एक पग की जानकारी हमको है। लेकिन इन तथ्यों ने कुछ नीतिगत प्रश्न खड़े किए हैं। कुछ पालिसी के साथ जुड़े हुए सवाल देश के सामने खड़े किए हैं। मैं चाहूंगी कि अपना स्पष्टीकरण देते हुए, क्योंकि बहुत लम्बा स्टेटमेंट मैं भी नहीं दे सकती नियमों के तहत, मैं चाहूंगी कि वे नीतिगत प्रश्नों को जिनको मैं पूछना चाह रही हूं, उसका जवाब मंत्री महोदय जरूर अपने वक्तव्य में देने का कष्ट करें।

महोदय, मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से यह है, दरअसल मंत्री जी हर समय लिखते रहते हैं, मुझे लगता कि वे मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? मंत्री जी, थोड़ा सा इधर देखकर के अगर आप लिखें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): आप ही का प्रेजेन्टेशन लिख रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर आप थोड़ा इधर देख करके लिखें तो मुझे सोचा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं।

श्री के. पी. सिंह देव: फिर लिख ही नहीं पाऊंगा।

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, if the Minister cannot look at Sushmaji, where else can he look at ?

SHRI K. P. SINGH DEO : If I look at her, I cannot write down the points.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Sir, the Minister needs protection from Sushmaji.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh) : You are Information and Broadcasting Minister. So, you have to have both audio and visual capabilities.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : You are an expert in that.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरे कुछ सीधे सवाल हैं और मैं उनका जवाब सीधा-सीधा चाहती हूं। बड़े छोटे-छोटे सवाल हैं। मेरा पहला सवाल मंत्री जी से यह है कि अगर एक क्षण के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मामला छोड़ भी दिया जाए तो क्या दूरदर्शन इस तरह के प्रसारणों में अन्य स्वदेशी निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता करने के लिए तैयार है? या स्वदेशी निर्माताओं के संदर्भ में भी दूरदर्शन यह तर्क देगा कि इससे राष्ट्रीय हितों को अनदेखी होती है। यह पहला सीधा स्पष्ट सवाल है।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा मैचों का प्रसारण करने से राष्ट्रीय हितों की अनदेखी होती है तो फिर विश्व-कप टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि मंत्री जी को यह जानकारी जरूर होगी, वे विभाग के मंत्री हैं और मैं आपके माध्यम से सदन को भी यह जानकारी देना चाहती हूं कि विश्व कप टूर्नामेंट के प्रसारण के अधिकार भी दूरदर्शन के

बजाय अमेरिका स्थित एक कम्पनी वर्ल्ड टेलीविजन को दिए जा चुके हैं। तो विश्व कप टूर्नामेंट में जब वह बहुराष्ट्रीय कम्पनी जो अमेरिका स्थित वर्ल्ड टेलीविजन यहां प्रसारण करने के लिए आएगा तो तब मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया होगी? चूंकि राष्ट्रीय हितों की अनदेखी का प्रश्न तब भी बना रहेगा। यह मेरा दूसरा सीधा सवाल है

मेरा तीसरा सवाल है कि आज जिन नियमों और उपनियमों का हवाला देकर के यह सारा बवाला यह सारा शोर मचाया जा रहा है जब इसी वर्ष के प्रारम्भ में इंग्लैंड के विरुद्ध खेले गए टैस्ट सीरीज का प्रसारण इसी तरह से हुआ था, टी.डब्ल्यू.आई. से खरीदकर हुआ था, तब भी उस समय इन नियमों की उल्लंघन का प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया और आज की आपके बाकी तमाम विभागों ने और खास तौर से मैं होम मिनिस्ट्री का जिक्र करना चाहूंगी कि जब गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के सवाल के ऊपर भी पूरा गौर करके इक्विपमेंट को लाने की अनुमति दे दी तो फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट या इंडियन वायरलैस एक्ट का हवाला देकर के दूरदर्शन को यह फरमान फैसले का अधिकार कैसे हुआ? तो फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट या इंडियन वॉयरलैस ऐक्ट का हवाला देकर दूरदर्शन को यह अधिकार कैसे था यह मेरा तीसरा प्रश्न है। मेरा चौथा प्रश्न अंतिम है और बुनियादी है कि क्या मंत्री जी दूरदर्शन की प्रसारण प्रतिभा से संतुष्ट हैं क्योंकि मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अब एकाधिकार का युग समाप्त हो गया है और प्रतियोगिता का युग प्रारंभ हो गया है और खास तौर पर सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है और प्रतियोगिता के बल पर आप केवल तभी टिके रह सकते हैं जब आपके प्रसारण की विश्वसनीयता हो जब आपका प्रसारण उच्च स्तर का हो और जब आपका प्रसारण मानवीय रुचि के अनुकूल हो। क्या यह सच नहीं है कि दूरदर्शन के प्रसारण इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरते हैं और मैं मंत्री जी से सीधे पूछना चाहूंगी कि अगर मंत्री जी को यह च्वाईस दी जाए कि आप दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया मैच देखना पसंद करेंगे या टी.डब्ल.आई. के द्वारा प्रसारित मैच देखना पसंद करेंगे तो क्या यह सच नहीं है कि विभाग के मंत्री होने के बावजूद एक क्रिकेट प्रेमी के नाते वह भी दूरदर्शन द्वारा प्रसारित मैच देखना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि दूरदर्शन अपना प्रसारण करते समय मानवीय रुचि का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है।

मंत्री जी, आप तो स्वयं क्रिकेट प्रेमी है और खेल प्रेमी हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी दूरदर्शन का कैमरा दर्शकों की तरफ मुड़ता है तो सिवाय एक पोज के कि दर्शक हाथ हिला रहे हैं बेव कर रहे हैं इसके अतिरिक्त कोई दूसरा पोज दूरदर्शन का कैमरा लेता नहीं है। जब कि टी.डब्लू.आई. के कैमरे ने बीडियों कोणों से दर्शकों के मूड को तस्वीरें दिखाई हैं इन तमाम चीजों को देखकर माननीय रुचि बनी रहती है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जब दूरदर्शन का अपना प्रसारण संतोषजनक नहीं है, जब दूरदर्शन के प्रसारण में त्रुटियां हैं और जो त्रुटियां इस मैच के प्रसारण के दौरान हुई हैं, जो लैप्सेज दूरदर्शन ने इस मैच के प्रसारण में किए हैं, वे कम नहीं हैं छोटे नहीं हैं। कभी जनरेटर रुक गया। कभी दिखाया तो जा रहा है क्रिकेट मैच और उधर इंटरनेशनल हौर्स जम्पिंग का कमेंट्री चल रही है यानी विज्युल तो है क्रिकेट मैच का और कमेंट्री होर्स जम्पिंग की चल रही है कभी क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा है लेकिन कमेंट्री उसके साथ टेली नहीं कर रही है। ऐसे बीसियों उदाहरण मेरे पास हैं लेकिन मैं उनको तफसील में नहीं जाना चाहती हूं।

मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि जब इस तरह के लैप्सेज हैं तो फिर इस तरह के तर्क और दलील देकर केवल संरक्षण के बल पर आप दूरदर्शन को नहीं बचा सकते। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगी कि इस तरह संरक्षण को वरद हस्त रखकर आप दूरदर्शन को बिगडैल मत बनाइए। इस प्रतियोगिता के युग में कान खींचने के बल पर प्रतियोगिता के क्षेत्र में उतरने दीजिए। अगर स्तर सुधरेगा उसको प्रसारण गुणवत्ता बढ़ेगी मानवीय रुचि के अनुसार जब वह अच्छा प्रसारण करेगा तो वह अपने काम के बल पर बचा रहेगा। यदि वह काम नहीं करेगा तो मैं और मेरा सदन मिलकर दूरदर्शन को बचा नहीं सकते

फिर सब दूरदर्शन के दर्शन दूर बहुत दूर होते चले जाएंगे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए मैं अंतिम बात कहकर अपना स्थान लेना चाहूंगी कि मंत्री जी यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी देशी या विदेशी प्रसारण पर कोई रोक लगाने की बात करेंगे तो मैं ही नहीं, पूरा का पूरा सदन आपका साथ देगा, जरूर देगा क्योंकि किसी भी कीमत पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को कंप्रोमाईज नहीं करने देना चाहते लेकिन क्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की हालत इतनी पतली हो गई है कि केवल एक क्रिकेट मैच के प्रसारण से वह सुरक्षा ध्वस्त हो जाएगी । अगर इसका जवाब हां में है तो मुझे भय है कि इस सारे के सारे मसले को ही बिल्कुल दूसरी निगाह से देखना पड़ेगा । अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी लेकिन मुझे हैरानी है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि वह एक क्रिकेट मैच का प्रसारण भी विदेशी कंपनी के द्वारा सह नहीं सकती है। इसलिए आप हमें इसके ऊपर जवाब दीजिए कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना केवल एकाधिकार को बनाए रखने के लिए बनाया जा रहा है या वाकई इसके अंदर कोई सत्यता है और अगर इसके अंदर कोई सत्यता है और आपकी बात से हम कन्विंस होंगे तो जरूर राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में हम आपका साथ देना चाहेंगे लेकिन अगर ये बहाना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, केवल अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए और प्रतियोगिता से बचने के लिए दूरदर्शन खड़ा कर रहा है तो इस प्रतियोगिता के युग में न मैं दूरदर्शन का साथ दे सकता हूं न सदन का कोई और सदस्य दूरदर्शन का साथ दे सकता है । ये चंद मसले मैं सीधे, सपाट, छोटे मसले हैं जो मैंने मंत्री जी को सेवा में रखे हैं । मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इन प्रश्नों का जवाब मंत्री जी अवश्य देंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI K. P. SINGH DEO : Mr. Vice-Chairman, Sir...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Sir, my colleague also wants to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Actually, according to the procedure of Half-an-hour Discussion, when you put your questions, immediately the Minister has to respond. Then the other speakers will make further queries regarding the facts of the question.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Okay, Sir. No problem.

SHRI K. P. SINGH DEO : Sir, I am extremely thankful to the hon. Member, Shrimati Sushma Swaraj ji. She is a Member of our Consultative Committee also, a valued Member, a respected Member. Although she said she would ask five questions, she has put a large number of questions. I was jotting down all of them. (*Interruptions*) So, it shall be my endeavour to try to satisfy the House as far as practically possible with all my humility.

Sir, a lot has been said in the press, in the courts, and in this House about Doordarshan's actions relating to the coverage of the recently concluded cricket tournament, organised by the Cricket Association of Bengal, in the name of Hero Cup. In fact, the insinuations, the innuendoes and the uncharitable remarks, blackmail, pressure through powerful vested interests, that were made regarding and on Doordarshan, the Ministry and the Government in the past few weeks, have been unprecedented, to say the least. If you kindly permit me, Sir, if I do have the time, I will bring to your notice...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I request the Minister not to compete with the hon. lady Member in taking more time.

SHRI K. P. SINGH DEO : I will not compete. I just want to bare the facts before the hon. Member and the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : You try to be brief because at 6 o'clock we have the Prime Minister's statement.

SHRI K. P. SINGH DEO : Sir, this is a very important question. And she has asked whether the Doordarshan is running away from competition or it is really the sovereignty and the security of the country which is at stake. So, I am afraid, Sir, you shall have to bear with me, and I crave your indulgence.

Sir, this is the 'Telegraph' of Calcutta which says : "TV blackout of cricket may cost Congress votes : The leaders who had unofficial talks with senior officials of Board of Control for Cricket in India have expressed alarm, pointing out the Congress would surely lose a million votes in the current round of Assembly elections."

Sir, the other day we saw, and the hon. Member in her opening remarks did mention about those who were opposed to multinationals espousing and championing the cause of the multinationals, running with hares and hunting with the hounds.

Sir, just look at the glee with which one of our national dailies writes. The 'Hindustan Times' of 28th November, 1993 writes :

"Rival for DD on home turf : Private sector television, free of Government control, and supported by no less than three separate court judgments, has come into being in India and no one as even noticed." "TWI as become the first independently owned television channel to break Doordarshan's monopoly on the airways... The result is that TWI is originating its own pictures, with its own manpower and machinery and equipment, uplinking the same picture and then broadcasting it via the Prime Sport channel to all recipients of Star TV including India." Sir, this is not what the law permits or what the law allows. Again, it says : "And it is doing all this not just on its own, not just without any support or assistance from any Indian colaborator leave aside Doordarshan, but it is doing so in direct competition with Doordarshan."

THE DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR

Madam, we welcome competition and we have taken on the challenge which this hon. House has been exercised about, in February-March, about cultural invasion from the skies, the satellite invasion. Both Doordarshan and All-India Radio have manfully taken up the challenge and they are succeeding.

Again : "...TWI the honour of becoming the first independent television company to broadcast in India in competition with Doordarshan". Again : "The only question now is how quickly will Indian television companies use this judicial gift—precedent is too cold and too limited a term—to prise open the door that the courts have unlocked. The real test of their entrepreneurship will be if they have the strategy and the sagacity to build on this opportunity. If TWI can originate a television signal, uplink and then beam back to India, why should not others ? The courts would no doubt uphold their right to do so." Then : "India is therefore on the threshold of a television revolution. Not because the Government has at last opened up broadcasting, not because the electorate has demanded it, but because the courts, in their wisdom and in their defence of democracy, have unlocked a door that should never have been shut in the first place. Hooray for the judicial system !"

Anyway, that is an opportunity given to us. Freedom of speech and expression is enshrined in our Constitution and freedom of press also. Therefore we take this criticism of this perverse delight in our stride and we shall see how we are meeting this challenge. If Government were keen on monopoly, it would not be bringing the Prasar Bharati Bill which is to distance the electronic media from Government and bureaucratic control. If we were interested in monopoly and feared competition or to run away from

competition, we would not be bringing before both the Houses of Parliament a scheme to set up private sector FM radio stations and T.V. stations, because this is exactly what the Congress manifesto says that Doordarshan shall compete with other corporations and Prasar Bharati shall be formed. We are going accordingly. And according to the assurances given in both Houses of Parliament, before 31st of December the papers are being considered by the Government so that a legislation can come forward. There is no intention on anybody's part to run away from the issue or from competition.

Nevertheless, Madam, I am grateful that there were stray voices in support of the principled stand taken by Doordarshan, to uphold the national pride and sovereignty and we saw and we heard glimpses of it when the question came up for answer on the 7th of November...

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : There were many voices supporting it.

SHRI K. P. SINGH DEO : Thank you. I stand corrected. The integrity and security of our country are enough to counter the waves of disinformation under which true facts of the case are being sought to be buried. This is where I would like to take you into confidence so that you may judge for yourself. It is the exclusive and sovereign right of the Government of India to transmit and telecast from within the country. The right is available through the provision of the Indian Telegraphs Act, 1885, section 4(1) which I had quoted the other day. If you want, I shall again do so, which clearly says that "The Central Government shall have the exclusive privilege of establishing, maintaining and working of telegraphs and to grant licence to any person for this purpose within India."

6.00 P.M.

Now, the foreigners, the owners, the high officials in the multinational company, T.W.I., which is a part of the World Production Establishment have chosen to call this law archaic, anachronistic and ridiculous when their own country follows the Magna Carta which was adopted in 1215. Even the Cricket Association of Bengal is a creature of the 1860 Societies' Registration Act. Were they forgetting it ? Were they ignorant of it, or, did they deliberately not mention the fact that the 1885 Act was amended in 1927, before independence; then in 1959, after the Constitution came into being, and again in 1961.

Madam, even the Constitution has been amended 80 times in the last forty-three years since it came into being. Members of Parliament—Parliament is the sovereign legislative body where the sovereign will of the people of India is exercised and reflected—thought it fit, in their wisdom, to retain all the provisions of this legislation.

Our friends across the sea have not spared our law-makers also when they reflected on the archaic, anachronistic and ridiculous nature of the law of our land. Madam, this law is not an isolated one. Nor is it an isolated policy. It is a worldwide phenomenon. It is universal. No country in the world allows any person to undertake broadcasting from out of that country without a proper licence and without severe restrictions.

We are very fond of quoting what the Englishman has done. I will give the example of the U. K.

Take, for example, the U. K. Uplinking and D. B. S. Regulations. The U. K. Department of Trade and Industry, vide a letter dated 5th March, 1991, made it very clear that there were just two licensees in the U. K. to receive and send satellite signals, namely, Scansat Broadcasting and *Visnews*. The U. K. Department of Trade and Industry is also responsible for issuing licences for the operation of an earth station or an outside broadcast site. Once again, no individual or company can operate such a facility

without clearance or approval of the Government.

Japan : All the broadcasting organisations are regulated by the radio law or the broadcast law under the administrative supervision of the Ministry of Posts and Telecommunications. As you know, Japan is a free enterprise country.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Minister ; is there more to it ?

SHRI K. P. SINGH DEO : Plenty, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : This is an half-an-hour discussion. (*Interruptions*)

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : Madam, Shrimati Sushma Swaraj has raised certain very pertinent questions. The Minister is trying to give us a detailed reply. I do not mind. But Madam, we do not want our right to ask some pertinent questions of him to be taken away. (*Interruptions*) The hon. Prime Minister is now here. He must have priority. I do not mind. But our right to ask certain questions of the hon. Minister on this very important subject should not be barred. Now, if the hon. Minister, instead of relying on and quoting from newspaper reports, replies to the questions raised by Shrimati Sushma Swaraj, it would be better.

SHRI K. P. SINGH DEO : I have a right to reply. Insinuations have been made against Doordarshan which is under my charge. Therefore, I must satisfy all the hon. Members, whether I quote from a newspaper or I quote from a document or it is my own perception.

I do hope you will give me time to do so.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : Let him speak for longer time but our right should not be taken away.

SHRI K. P. SINGH DEO : I am being muzzled now.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No really. The thing is that we have the Prime Minister here and he has to make a statement.

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : It is an announcement.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am sorry, it is an announcement. Sir, with the hon. Members it is difficult in this House because we have to be very careful, because there is a very thin line between a statement, an announcement and an explanation.

Regarding the Half-an-Hour Discussion which is extended to one hour, we will take it up later. I will request the Prime Minister to make the announcement.

SHRI S. JAIPAL REDDY : How is it different from the statement ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO : Okay, if it is not different, please at least listen.

THE DEPUTY CHAIRMAN : After listening you will understand the difference between a statement and an announcement and an explanation.

ANNOUNCEMENT REGARDING M.Ps'. LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : Madam, very often it happens that Members of Parliament are approached by their constituents for small works of a capital nature to be done in their constituencies. However, they are not in a position to ensure that the work suggested by them is undertaken. Hence there was a demand made by the M.Ps. of different political parties that they should be allowed to recommend to the District Collector works to be done in their constituencies.